


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>भंवरलाल बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 48/2023</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>20-02-2023</p>	<p>अपीलार्थी भंवरलाल मालवीय पुत्र नरसिंह मालवीय, निवासी 109, प्रथम बी रोड, सरदारपुरा, कुम्हारों के मंदिर के पास, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.11.2022 में (1) खसरा नम्बर 119 ग्राम तनावड़ा में धातक रासायनिक पानी का उपयोग करके जहरीला रासायनिक गेहूँ फसल बुवाई रोकने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>20-02-2023</p>	<p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 177 दिनांक 14.02.2023 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्थान सम्पर्क, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी भंवरलाल को इस कार्यालय के पत्रांक 168 दिनांक 14.02.23 पंजीकृत पत्र द्वारा कुल 26 पृष्ठों की सूचना प्रेषित की जा चुकी है।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार सूचना भिजवाई जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।</p> <p style="text-align: center;">  (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर, जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.) </p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>